सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 29, गुरूवार, शाके 1948- अगस्त 20, 2026
Sravana 29, Thursday, Saka 1948- August 20, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

विभाग का नामः उपायुक्त लैण्ड (प्रथम), नगर निगम जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, मार्च, 15, 2024

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन नियम) 2010 एवं (संशोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2021) के तहत्

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या एफ13( ) उपा.आयो.प्रथम/ननिज/2024/ 1051:-श्री कमलचन्द सुराणा पुत्र श्री राजमल सुराणा, भू.सं. बी-7 ई, सुराणा एन्क्लेव, राम सिंह रोड, जयपुर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू उपयोग परिवर्तन (संशोधित) नियम 2021 के अधीन आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निम्नानुसार आवेदन किया हैः-

शहर का नाम	योजना का नाम	भूखण्ड	क्षेत्रफल
जयपुर शहर	संगानेरी गेट	भू.सं. 684-690, सांगानेरी गेट, जयपुर	400.67 व.ग.

इस भूखण्ड के आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के पेटे राशि 9,94,950/- रूपए दिनांक 14.03.2024 को जमा करा दिया गया है।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेष दिनांक 04.08.2022 एवं आदेश दिनांक 15.06.2023 के अधीन आवेदित भूखण्ड का उपयोग आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर पर स्वीकृति अनुसार निर्णय की पालना में स्वकृति निम्नलिखित शर्तों की अध्याधीन की जाती हैः-

1. यह केवल आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
2. उक्त जारी होने के पश्चात् नियमानुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 रीजन में अंकित प्रावधानों व जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 (संशोधित सहित) प्रचलित भवन विनियम के मानदण्डों के अनुसार मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ

भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंग तथा भूखण्ड में पार्किंग व वाटर हार्वेस्टिंग व अन्य आवष्यक मापदण्डों का प्रावधान करना होगा।

3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित रूपान्तरण के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक होगा। यदि उक्त अवधि में निर्माण नहीं किया गया तो नगर निगम द्वारा भू-रूपांतरण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसूल की जावेंगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेंगी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है तो मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेंगा तथा पुनः भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. बिन्दु सं. 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भूमि पर स्थित निर्माण कार्य को अवैध माना जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।
5. मिश्रित भू-उपयोग के पष्चात् प्रनष्गत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेंगी जो आस-पास के निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
6. मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ लीज नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानुसार जमा करानी होगी। जो प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से पूर्व जमा करानी होगी।
7. भूखण्ड पर आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग किये जाने के दौरान यह सुनिष्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में वाहनों की पार्किंग भूखण्ड की कम्पाउण्डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किंग कम्पाउण्डवाल के अन्दर ही की जावे।

ओम प्रकाश कसेरा,
आयुक्त,
नगर निगम जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।